

अनिवासी निवेशक से संबंधित अपने ग्राहक को जानिए फॉर्म	
1.	निवेशक का पंजीकृत नाम और पता (यदि निवेशक कोई व्यक्ति हो तो उसका नाम)
2.	पंजीकरण संख्या (यदि निवेशक कोई व्यक्ति हो तो यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाये)
3.	पंजीकृत पता(यदि निवेशक कोई व्यक्ति हो
4.	निवेशक के बैंक का नाम
5.	निवेशक का बैंक खाता नंबर
6.	निवेशक के साथ बैंकिंग व्यवहार कितने समय से है
7.	अग्रणी/ प्रबंधक निवेश/ मर्चेन्ट बैंकर का नाम और पता
8.	निर्गम के उप-प्रबंधकों के नाम और पते
9.	भारतीय अभिरक्षकों के नाम और पते

पासपोर्ट संख्या, सोसियल सिक्योरिटी संख्या अथवा कौई यूनीक नंबर जिसमें निवेशक की उसके देश में प्रचलित नियमों के तहत उसकी वास्तविकता प्रमाणित की गयी हो ।

हम प्रमाणित /पुष्टि करते हैं कि अनिवासी निवेशक के समुद्रपारीय प्रेषक बैंक द्वारा ऊपर दी गयी जानकारी सही और सत्य है ।

विप्रेषण प्राप्तकर्ता प्राधिकृत व्यापारी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर	
दिनांक	स्था न
मुहर	

एफसी-जीपीआर

भाग-अ

(जब कभी विदेशी निवेशकों को शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर जारी किए जाते हैं इस फार्म के साथ संलग्न वचनपत्र के मद सं. 4 उल्लिखित दस्तावेजों के साथ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक के माध्यम से रिजर्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय के पास, जिसके क्षेत्राधिकार में घोषणा करनेवाली कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, जमा करना है।

आयकर विभाग द्वारा
निवेशिती कंपनी को
दिया गया स्थायी
लेखा सं(पैन)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

शेयर/परिवर्तनीय
डिबेंचर जारी
करने की तारीख

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

सं.	ब्योरे	(स्पष्ट अक्षरों में)
1.	नाम	
	पता	
	राज्य	
	कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया पंजीकरण सं.	
	मौजूदा कंपनी अथवा नई कंपनी है	मौजूदा कंपनी / नई कंपनी है

	(जो लागू न हो उसे काट दें) मौजूदा कंपनी के मामले में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आबंटित पंजीकरण सं., अगर कोई हो तो, दें।	
	फैक्स	
	टेलीफोन	
	ई-मेल	
2.	मुख्य कारोबारी कार्यकलाप का ब्योरा एनआइसी कूट	
	परियोजना का स्थान और परियोजना जहां स्थित है, उस जिले का एनआइसी कूट	
	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार अनुमत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का प्रतिशत (जो लागू न हो उसे काट दें)	स्वतः/अनुमोदित मार्ग/अनुमोदित मार्ग
3.	विदेशी निवेशक/सहयोगी के ब्योरे*	
	नाम	
	पता	
	देश	
	निवेशकर्ता कंपनी का गठन /स्वरूप [उल्लेख किया जाए कि वह	
	1.वैयक्तिक	
	2.कंपनी	

3.विदेशी संस्थागत निवेशक 4.विदेशी जोखिम पूंजी निवेश 5.विदेशी ट्रस्ट 6.निजी इक्विटी फंड 7.पेंशन /भविष्य निधि 8.सोवेरन वेल्थ फंड + 9.साम्प्रदायिक/स्वत्वधारी फर्म 10.वित्तीय संस्था 11.अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति 12. अन्य (विशेष रूप से उल्लेख करें)] निगमन की तारीख	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

*यदि एक से अधिक विदेशी निवेशक/सहयोगी है तो,फार्म के 3 और 4मद के लिए लग से अनुलग्नक जोड़ा जाए ।
+एसडब्ल्यूएफ का मतलब सरकारी निवेश माध्यम है ,जिसका निधीयन विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों से किया जाता है और जिसका प्रबंधन उन परिसंपत्तियों के मौद्रिक प्राधिकरणों के आधिकारिक प्रारक्षित निधियों से अलग किया जाता है।

4.	जारी किए गए शेयरों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों के ब्योरे							
क	निर्गम का स्वरूप और तारीख							
	निर्गम का स्वरूप		निर्गम की तारीख	शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों की संख्या				
	01	प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव/ एफपीओ						
	02	अधिमान आबंटन/निजी प्लेसमेंट						
	03	अधिकार						
	04	बोनस						
	05	बाह्य वाणिज्यिक उधार का परिवर्तन						
	06	रॉयल्टी का परिवर्तन (एकमुश्त भुगतान सहित)						
	07	एसईजेड की युनिटों द्वारा पूंजीगत माल के आयात की जमानत पर आयात						
	08	कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजनाएं						
	09	शेयरों की अदला-बदली						
	10	अन्य (कृपया उल्लेख करें)						
	कुल							
(ख)	जारी किए गए प्रतिभूति का प्रकार							
	क्र.सं.	प्रतिभूति का स्वरूप	संख्या	परिपक्वता	अंकित मूल्य	प्रीमियम	निर्गम मूल्य प्रति शेयर	आवक राशि*
	01	इक्विटी						
	02	अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर						

	02	अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर							
	03	अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय अधिमान शेयर							
	04	अन्य							
		कुल							

- (i) निर्गम मूल्य अंकित मूल्य से अधिक हो तो प्राप्त प्रीमियम का ब्रेकअप दें।
(ii) * अगर निर्गम बाह्य वाणिज्यिक उधार अथवा रॉयल्टी के परिवर्तन अथवा सेज की इकाईयों द्वारा पूंजीगत माल के आयात की जमानत पर है तो परिवर्तन की तारीख को शेष राशि को प्रमाणित करनेवाला सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र।

ग	प्रीमियम का ब्रेक-अप	राशि
	कंट्रोल प्रीमियम	
	गैर-प्रतिस्पर्धा शुल्क	
	अन्य*	
	कुल	

**कृपया स्वरूप लिखें*

घ	निम्नलिखित के माध्यम से अनिवासियों को शेयर जारी करने से कुल आवक (रुपये में) (प्रीमियम, यदि कोई हो, सहित) (i) प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से प्रेषण (ii) _____ बैंक के पास अनिवासी (बाह्य)/ विदेशी मुद्रा अनिवासी खाते में नामे (iii) अन्य (कृपया उल्लेख करें) समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.20/2000-आरबी के पैरा 9(1)अ (1)के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक को उपर्युक्त (i)और (ii)की रिपोर्टिंग की तारीख	
ङ	जारी किए गए शेयरों का उचित मूल्य का प्रकटीकरण	
	हम सूचीबद्ध कंपनी हैं और निर्गम की तारीख को एक शेयर का बाजार मूल्य है*	
	हम असूचीबद्ध कंपनी हैं और एक शेयर का उचित मूल्य है*	

**** शेयर के निर्गम से पहले**

***(कृपया, जैसा लागू हो, दर्शाएँ)**

5. शेयरधारिता की पिछली निगम पद्धति								
			इक्विटी			अनिवार्यतः परिवर्तनीय अधिमान शेयर/ डिबेंचर		
निवेशक वर्ग			शेयरों की सं.	राशि (अंकित मूल्य) रु.	%	शेयरों की सं.	राशि (अंकित मूल्य) रु.	%
क)	अनिवासी							
	01	व्यक्ति						
	02	कंपनियां						
	03	विदेशी संस्थागत निवेशक						
	04	विदेशी जोखिम पूंजी निवेश						
	05	विदेशी ट्रस्ट						
	06	निजी इक्विटी निधियां						
	07	पेंशन/भविष्य निधियां						
	08	सोवरेन वेल्थ फंड						
	09	साझेदारी/स्वत्वधारी फर्मस						
	10	वित्तीय संस्थाएं						
	11	अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति						
	12	अन्य(कृपया उल्लेख करें)						
	उप-कुल							
ख)	निवासी							
	कुल							

भारतीय कंपनी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा भरी जानेवाली घोषणा : (जो लागू न हों उसे काटें और प्रमाणित करें)

हम एतद्वारा घोषित करते हैं कि -

1.	हम समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.20/2000-आरबी में दर्शाए गए अनुसार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश योजना के तहत यथानिर्धारित शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों के निर्गम की प्रक्रिया का अनुपालन करते हैं।
2.	निवेश भारतीय रिज़र्व बैंक के स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत अनुमत क्षेत्रीय नीति/ सीमा के अंदर है तथा हम स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत निवेशों के लिए निर्धारित सभी शर्तों को पूरा करते हैं अर्थात् (जो लागू न हो उसे काट दें)
क)	विदेशी प्रतिष्ठान (व्यक्तियों से इतर) जिसे हमने शेयर जारी किया है, का भारत में उसी क्षेत्र में मौजूदा संयुक्त उद्यम अथवा तकनीकी अंतरण अथवा ट्रेड मार्क करार है और जनवरी 12, 2005 के 2005 सिरीज के प्रेस नोट 1 में अनुबद्ध निर्धारित शर्तों का अनुपालन किया गया है।
	अथवा विदेशी प्रतिष्ठान (व्यक्तियों से इतर) जिसे हमने शेयर जारी किया है का भारत में उसी क्षेत्र में कोई मौजूदा संयुक्त उद्यम अथवा तकनीकी अंतरण अथवा ट्रेड मार्क करार नहीं है।

	ख)	हम लघु उद्योग इकाई नहीं हैं।
		अथवा हम लघु उद्योग इकाई हैं और चुकता पूंजी के 24 प्रतिशत की निवेश सीमा का अनुसरण किया है/अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त किए गए हैं।
	ग)	समय-समय पर यथासंशोधित मई 3,2000 की भारिबै की अधिसूचना सं.फेमा 20/2000-आरबी के विनियम 6 के अनुसरण में अधिकार आधार पर अनिवासियों को शेयर जारी किए गए हैं।
		अथवा जारी किए गए शेयर बोनस शेयर हैं।
		अथवा शेयर भारत में किसी कोर्ट द्वारा विधिवत अनुमोदित एक अथवा उससे अधिक भारतीय कंपनियों के विलयन और समामेलन की योजना अथवा भारतीय कंपनी का विलयन न करके अथवा अन्य प्रकार द्वारा पुनर्निर्माण की योजना के तहत जारी किए गए हैं।
		अथवा शेयर कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना के तहत जारी किए गए हैं तथा इस निर्गम के संबंध में शर्तों को पूरा किया गया है।
3.		शेयर दिनांक-----के एसआइए/एफआइपीबी अनुमोदन सं..... के अनुसार जारी किए गए हैं।
4.		हम मई 3,2000 की अधिसूचना सं. फेमा20/2000 की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(आ) के अनुसरण में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करते हैं:
	(i)	यह प्रमाणित करनेवाला हमारी कंपनी सचिव से प्राप्त पत्र कि -
	(क)	कंपनी अधिनियम ,1956 की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है;
	(ख)	सरकारी अनुमोदन, यदि कोई हो, की शर्तों का अनुपालन किया गया है;
	(ग)	इन विनियमों के तहत कंपनी शेयर जारी करने के लिए पात्र है ; और
	(घ)	मई 3,2000 की अधिसूचना सं.फेमा 20/2000की अनुसूची 1 के पैरा 8 के अनुसार प्रतिफल की राशि की प्राप्ति का सबूत देनेवाला भारत के प्राधिकृत व्यापारी द्वारा जारी किए गए सभी मूल दस्तावेज कंपनी के पास है।
	(ii)	भारत के बाहर निवासी व्यक्ति को जारी शेयरों की कीमत लगाने की पद्धति को दर्शाते हुए सांविधिक लेखापरीक्षकों/सनदी लेखाकार से प्राप्त प्रमाणपत्र
5.		शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों (उपर्युक्त ब्योरों के अनुसार) के निर्गम के प्रतिफल के रूप में प्राप्त सभी प्रेषणों के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट पहचान संख्या।
	आर	
	आर	

(आवेदक का हस्ताक्षर)* : _____

(नाम स्पष्ट अक्षरों में) :

(हस्ताक्षरी का पदनाम) :

स्थान :

दिनांक:

(*कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएं)

निवेश स्वीकार करनेवाली भारतीय कंपनी के कंपनी सचिव 22 द्वारा भरा जानेवाला प्रमाणपत्र :

(मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैरा 9(1)(आ)(i) के अनुसार)

उपर्युक्त ब्योरों के संबंध में हम निम्नानुसार प्रमाणित करते हैं :

1.	कंपनी अधिनियम, 1956 के सभी अपेक्षाओं को पूरा किया गया है।
2.	सरकारी अनुमोदन के शर्तों, यदि कोई हो तो, का अनुपालन किया गया है।
3.	इन विनियमों के अधीन शेयर जारी करने के लिए कंपनी पात्र है।
4.	कंपनी के पास सभी मूल प्रमाणपत्र मौजूद हैं जो भारत में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों द्वारा जारी किए गए हैं, और जो मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 9(1)(आ) के अनुसार प्रतिफल राशि की प्राप्ति का सबूत है।

(कंपनी सचिव का नाम और हस्ताक्षर)

(मुहर)

केवल रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए :

एफसी-जीपीआर के लिए पंजीकरण सं.

प्रेषण की प्राप्ति की रिपोर्टिंग के समय कंपनी को आबंटित विशिष्ट पहचान संख्या	आर									
------------------------------------------------------------------------------	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

22 कंपनी के पास पूर्णकालिक कंपनी सचिव नहीं है तो, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव से प्राप्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाए।

[30 मई,2008 के ए.पी.(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.44 के अनुबंध I का भाग-आ]

एफसी-जीपीआर	
भाग-आ	
(i)	फार्म एफसी-जीपीआर का यह भाग निदेशक ,भुगतान संतुलन सांख्यिकीय प्रभाग ,सांख्यिकीय विश्लेषण और कंप्यूटर सेवा विभाग,भारतीय रिज़र्व बैंक ,सी-8, तीसरी मंज़िल बांद्रा-कुर्ला कंप्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) को प्रस्तुत किया जाए। टेलीफोन :265712,2657251,फैक्स:26570848;ई-मेल:surveyfla@rbi.org.in
(ii)	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान भारतीय कंपनी में प्रत्यक्ष/ पोर्टफोलियो निवेश/ पुनः निवेशित अर्जनों/ अन्य के रूप में किए गए सभी निवेशों से संबंधित इस वार्षित रिपोर्ट को सभी कंपनियां प्रत्येक वर्ष जुलाई 31 तक प्रस्तुत करे।(अर्थात् जुलाई 31, 2008 तक प्रस्तुत भाग आ में प्रस्तुत रिपोर्ट पिछले वर्ष के मार्च 2008 तक में किए गए निवेशों से संबंधित होगा)।रिपोर्ट किए जानेवाले निवेशों के ब्योरो में कंपनी में किए गए वे सभी निवेश शामिल होंगे,जो तुलनपत्र की तारीख को बकाया होंगे। प्रत्यक्ष /पोर्टफोलिओ निवेश दोनों के तहत कंपनी में समुद्रपारीय निवेशों के ब्योरे अलग से दर्शाए जाएं।कृपया संबंधित सूचना संकलित करने के लिए मार्च-अंत के बाजार मूल्यों/विनिमय दरों का उपयोग करें।

आयकर विभाग द्वारा
निवेशिती कंपनी को
दिया गया

पैन सं.																		
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

सं.	ब्योरे	(स्पष्ट अक्षरो में)
1.	नाम	
	पता	
	राज्य	
	कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा दिया गया पंजीकरण सं.	
2.	संपर्की का नाम	पदनाम:
	टेलीफोन	ई-मेल :
	फैक्स	
3.	खाता बंद करने की तारीख :	
4.	पहले प्रस्तुत सूचना के संबंध में यदि कोई परिवर्तन हो तो उसके ब्योरे (कंपनी/ कंपनी के नाम/ जगह, कार्यकलाप, आदि में परिवर्तन)	

5.	क्या सूचीबद्ध कंपनी है या असूचीबद्ध है	सूचीबद्ध /असूचीबद्ध
5.1	यदि सूचीबद्ध है, i) मार्च-अंत की स्थिति के अनुसार प्रति शेयर बाजार मूल्य ii) अद्यतन लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख की स्थिति में निवल परिसंपत्ति मूल्य प्रति शेयर	
5.2	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलनपत्र की तारीख की स्थिति में निवल परिसंपत्ति मूल्य प्रति शेयर, यदि असूचीबद्ध है	

6. विदेशी प्रत्यक्ष निवेश				
		राशि लाख रुपये में		
	भारत में विदेशी देयताएं*	भारत से बाहर विदेशी परिसंपत्तियां###		
	पिछले वर्ष के मार्च अंत में बकाया	चालू वर्ष के मार्च अंत में बकाया	पिछले वर्ष के मार्च अंत में बकाया	चालू वर्ष के मार्च अंत में बकाया
6.0	ईक्विटी पूंजी			
6.1	अन्य पूंजी [†]			
6.2	वर्ष के दौरान विनिवेश			
6.3	वर्ष के दौरान रोके गए अर्जन [†]			

कृपया **अनिवासी निवेशकों (प्रत्यक्ष निवेशकों)** के, जिसकी रिपोर्टिंग की तारीख को **आपकी कंपनी** के सामान्य शेयरों के **10 प्रतिशत या उससे अधिक** की धारिता है, शेष निवेशों को प्रस्तुत करें।

कृपया देश के बाहर के अपने प्रत्येक निवेश यहां प्रस्तुत करें जिसमें रिपोर्टिंग की तारीख को **आपकी कंपनी** अनिवासी भारतीय उद्यम के **10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक** के सामान्य शेयर की धारक है।

[†] अनिवासी प्रत्यक्ष निवेशक और निवेशिती/ रिपोर्टिंग कंपनी के बीच अन्य पूंजीगत लेनदेनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) समुद्रपारीय निवेशकों से अल्पावधि उधार, (ii) समुद्रपारीय निवेशकों से दीर्घावधि उधार, (iii) व्यापार ऋण, (iv) आपूर्तिकर्ता ऋण, (v) वित्तीय लीजिंग, (vi) नियंत्रण प्रीमियम, (vii) शेयरों को शामिल नहीं करनेवाले लेनदेनों के मामलों में गैर-स्पर्धा शुल्क, (viii) तकनीकी अंतरण, संयंत्र और मशीनरी, गुडविल, कारोबार विकास और इसी प्रकार के प्रयोजनों के एवज में शेयरों का गैर-नकदी अधिग्रहण और (ix) वर्ष के दौरान अचल संपत्ति में किए गए निवेश।

+ विदेशी देयताओं के तहत, रोके गए अर्जनों के लिए (अवितरित लाभ) कृपया अनिवासी निवेशकों (प्रत्यक्ष निवेशक) की शेयरधारिता के अनुसार आनुपातिक राशि प्रस्तुत करें। इसीप्रकार, भारत के बाहर विदेशी परिसंपत्तियों के तहत, आपकी कंपनी के रोके गए अर्जन अनिवासी उद्यम में साधारण शेयरों की आपकी धारिता के अनुपात में होंगे।

7. संविभाग और अन्य निवेश (उपर्युक्त विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के तहत न दर्शाए गए से इतर बकाया निवेशों को यहां दर्शाएं)				
	राशि लाख रुपये में			
	भारत में विदेशी देयताएं*		भारत से बाहर विदेशी परिसंपत्तियां##	
	पिछले वर्ष के मार्च अंत में बकाया	चालू वर्ष के मार्च अंत में बकाया	पिछले वर्ष के मार्च अंत में बकाया	चालू वर्ष के मार्च अंत में बकाया
7.0 ईक्विटी प्रतिभूतियां				
7.1 ऋण प्रतिभूतियां				
7.1.1 बांड और नोट				
7.1.2 मुद्रा बाजार लिखतें				
7.2 वर्ष के दौरान भारत में विनिवेश				
8. वित्तीय डेरिवेटिव्स (आनुमानिक मूल्य)				
9. अन्य निवेश				
9.1 व्यापार ऋण				
9.1.1 अल्पावधि				
9.1.2 दीर्घावधि				
9.2 ऋण [®]	नीचे नोट [®] देखें			
9.3 अन्य				
9.3.1 अल्पावधि				
9.3.2 दीर्घावधि				

[®] नोट : चूंकि आपकी कंपनी द्वारा लिए गए ऋण के ब्योरे बाह्य वाणिज्यिक उधार विवरणियों में भारतीय रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा विभाग द्वारा अलग से प्राधिकृत व्यापारियों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं, आपकी कंपनी द्वारा लिए गए बाह्य ऋणों के ब्योरों को भरने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी भारत के बाहर पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम को आपकी कंपनी द्वारा दिए गए बाह्य ऋणों की रिपोर्टिंग " भारत के बाहर विदेशी परिसंपत्तियां" के तहत की जाए।

10.मार्च-अंत की स्थिति में शेयरधारिता पद्धति							
		इक्विटी			अनिवार्यतः परिवर्तनीय अधिमान शेयर/ डिबेंचर		
निवेशक वर्ग/निवेशकर्ता कंपनी का स्वरूप		शेयरों की सं.	राशि (अंकित मूल्य) रु.	%	शेयरों की सं.	राशि (अंकित मूल्य) रु.	%
क)	अनिवासी						
	01 व्यक्ति						
	02 कंपनियां						
	03 विदेशी संस्थागत निवेशक						
	04 विदेशी जोखिम पूंजी निवेश						
	05 विदेशी ट्रस्ट						
	06 निजी इक्विटी निधियां						
	07 पेंशन/भविष्य निधियां						
	08 सोवरेन वेल्थ फंड [†]						
	09 साझेदारी/स्वत्वधारी फर्मस						
	10 वित्तीय संस्थाएं						
	11 अनिवासी भारतीय/ भारतीय मूल के व्यक्ति						
	12 अन्य(कृपया उल्लेख करें)						
	उप-कुल						
ख)	निवासी						
	कुल						
11.	31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान नियोजित व्यक्ति**						
	प्रत्यक्ष रूप से						
	अप्रत्यक्ष रूप से						
	कुल						

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर:-----

नाम(स्पष्ट अक्षरों में) :-----

पदनाम :

स्थान :

दिनांक:

एसडब्ल्यूएफ का अर्थ सरकारी निवेश माध्यम से है जिसका निधीयन विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों द्वारा किया जाता है और जो उन परिसंपत्तियों का प्रबंधन मौद्रिक प्राधिकरण के आधिकारिक प्रारक्षित निधियों से अलग करता है।

**जिस वित्तीय वर्ष के लिए विवरणी प्रस्तुत की जा रही है, उसके दौरान आपकी कंपनी द्वारा भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या बताएं। "सीधे" के तहत आपकी कंपनी के पंजी पर लिखे गए व्यक्तियों की संख्या बताएं जबकि "अप्रत्यक्ष" के तहत वर्ष के दौरान आपकी कंपनी द्वारा अन्यथा काम पर लगाए गए व्यक्तियों की संख्या बताएं।

अनुबंध-9	
[भाग-1, खंड-1, पैरा 21(ii)]	
फार्म एफसी-टीआरएस	
निवासी से अनिवासी को/अनिवासी से निवासी को बिक्री द्वारा	
शेयरों के अंतरण के बारे में घोषणा	
(चार प्रतियों में प्राधिकृत व्यापारी शाखा को प्रस्तुत करें)	
निम्नलिखित दस्तावेज संलग्नक किए गए हैं (संलग्नक के पैरा 5 देखें) (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों की बिक्री के लिए)	
(i)	विक्रेता और क्रेता अथवा उनके विधिवत् नियुक्त एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र तथा बादवाले मामले में पॉवर ऑफ एटर्नी दस्तावेज
(ii)	भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों के अधिग्रहण के बाद निवेशिती कंपनी के शेयरधारिता का स्वरूप
(iii)	सनदी लेखाकार द्वारा शेयरों का उचित मूल्य दर्शाते हुए प्रमाणपत्र।
(iv)	अगर बिक्री स्टॉक एक्सचेंज में किया हो तो ब्रोकर के नोट की प्रति।
(v)	क्रेता से इस बात का आश्वासन पत्र कि वह विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अधीन शेयर/ परिवर्तनीय डिबेंचर अधिगृहीत करने का पात्र है और वर्तमान सेक्टरल सीमाओं और मूल्य निर्धारण दिशानिर्देशों का पालन किया गया है।
(vi)	विदेशी संस्थागत निवेशक/ उप खाते से इस बात का आश्वासन पत्र कि सेबी द्वारा निर्धारित एकल विदेशी संस्थागत निवेशक/ उप खाता सीमा का उल्लंघन नहीं किया गया है।
भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा शेयरों की बिक्री से संबंधित अतिरिक्त दस्तावेज	
(vii)	अगर विक्रेता अनिवासी भारतीय/ समुद्रपारीय निगमित निकाय हो तो प्रत्यावर्तनीय/ गैर-प्रत्यावर्तनीय आधार पर उनके द्वारा धारित शेयरों के सबूत के तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की प्रतियां
(viii)	आयकर प्राधिकारी/ सनदी लेखाकार से आपत्ति नहीं/ कर देय नहीं प्रमाणपत्र।

1	कंपनी का नाम				
	पता (ई-मेल, टेलीफोन सं., फैक्स सं. सहित)				
	कार्यकलाप				
	एनआइसी कोड नंबर				
2	क्या स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अनुमत है?				
	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के तहत क्षेत्रीय सीमा				
3	लेनदेन का स्वरूप				
	निवासी से अनिवासी को अंतरण				
	अनिवासी से निवासी को अंतरण				
4	क्रेता का नाम				
	श्रेणी (कृपया उपयुक्त श्रेणी पर टिक करें)	व्यक्ति	कंपनी	विदेशी संस्थागत निवेशक	अन्य
	कंपनी/विदेशी संस्थागत निवेशक, आदि के मामले में कृपया कंपनी का गठन अर्थात् लिमिटेड कंपनी, पंजीकृत साझेदारी आदि, सूचित करें				
	निगमन की तारीख और स्थान				
	क्रेता का पता (ई-मेल, टेलीफोन सं., फैक्स सं. सहित)				
5	विक्रेता का नाम				
	श्रेणी (कृपया उपयुक्त श्रेणी पर टिक करें)	व्यक्ति	कंपनी	विदेशी संस्थागत निवेशक	अन्य (कृपया उल्लेख करें)
	कंपनी/विदेशी संस्थागत निवेशक, आदि के मामले में कृपया कंपनी का गठन अर्थात् लिमिटेड कंपनी, पंजीकृत साझेदारी आदि, सूचित करें				
	निगमन की तारीख और स्थान				
	क्रेता का पता (ई-मेल, टेलीफोन सं., फैक्स सं. सहित)				
6	रिज़र्व बैंक/ विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के पिछले अनुमोदन के ब्योरे				
7	अंतरण किए जानेवाले शेयरों/परिवर्तनीय डिबेंचरों के ब्योरे				

	लेनदेन की तारीख	शेयरों की संख्या	अंकित मूल्य	अंतरण के लिए समझौता किए गए मूल्य**	प्रतिफल राशि

8	कंपनी में विदेशी निवेश				
		शेयरों की संख्या	प्रतिशत		
	अंतरण से पहले				
	अंतरण के बाद				
9	क्या शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है?				
	अगर हां तो स्टॉक एक्सचेंज का नाम				
	स्टॉक एक्सचेंज में कोट की गई कीमत				
	क्या शेयर असूचीबद्ध हैं?				
	मूल्य निर्धारण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कीमत*				
	सनदी लेखाकार के मूल्य निर्धारण रिपोर्ट के अनुसार कीमत				

*/**सनदी लेखाकार का प्रमाणपत्र जोड़ा जाए

अंतरणकर्ता/अंतरिती द्वारा घोषणा	
मैं/हम एतद्वारा घोषित करता हूँ/ करते हैं कि :	
(i)	ऊपर दिए गए ब्योरे मेरे/ हमारी जानकारी तथा विश्वास में सत्य और सही है
(ii)	मैं/हम फेरा/फेमा विनियमावली के तहत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के अनुसार प्रत्यावर्तनीय/ अप्रत्यावर्तनीय आधार पर शेयरों को धारित करता था/ करते थे
(iii)	मैं/हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति के तहत कंपनी के शेयर के अधिग्रहण के लिए पात्र हूँ/हैं। यह वित्तीय सेवा क्षेत्र अथवा ऐसा क्षेत्र जहां सामान्य अनुमति उपलब्ध नहीं है, मैं कार्यरत कंपनी के शेयरों से संबंधित अंतरण नहीं है।
(iv)	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति और मूल्य निर्धारण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन सेक्टरल सीमाओं का पालन किया गया है।
घोषणाकर्ता अथवा उसके विधिवत	
दिनांक :	

		प्राधिकृत एजेंट का हस्ताक्षर
	टिप्पणी	
	निवासी से अनिवासी को शेयरों के अंतरण के संबंध में घोषणा अनिवासी क्रेता द्वारा हस्ताक्षरित हो तथा अनिवासी से निवासी को शेयरों के अंतरण के संबंध में घोषणा अनिवासी विक्रेता द्वारा हस्ताक्षरित हो	
	प्राधिकृत व्यापारी शाखा का प्रमाणपत्र	
	यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन सभी तरह से पूर्ण है। लेनदेन के लिए प्राप्त/ भुगतान फेमा विनियमावली/ रिजर्व बैंक मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार है।	हस्ताक्षर
		अधिकारी का नाम और पदनाम
	दिनांक :	प्राधिकृत व्यापारी शाखा का नाम
		प्राधिकृत व्यापारी कूट

अनुबंध-10

[भाग-1, खंड-1, पैरा 29]

जीडीआर/एडीआर के निर्गम का प्रबंध करनेवाली भारतीय कंपनी द्वारा फाइल की जानेवाली विवरणी

[मई 3, 2000 की अधिसूचना सं.फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 का पैराग्राफ 4(2) देखें]

सूचना : इस फार्म को पूर्ण किया जाए तथा भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत किया जाए।

1.	कंपनी का नाम		
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता		
3.	पत्राचार के लिए पता		
4.	वर्तमान कारोबार (उस कार्यकलाप का एनआइसी कूट दें जिसमें कंपनी मुख्य रूप से कार्यरत है)		
5.	जीडीआर/एडीआर उगाहने के प्रयोजन के ब्योरे। यदि निधियां समुद्रपारीय निवेश के लिए उपयोग की गई हों, तो उसके ब्योरे		
6.	विदेश के डिपाजिटरी का नाम और पता		
7.	अग्रणी/ प्रबंधक निवेश/ मर्चेन्ट बैंकर का नाम और पता		
8.	निर्गम के उप-प्रबंधकों के नाम और पते		
9.	भारतीय अभिरक्षकों के नाम और पते		
10.	विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के अनुमोदन के ब्योरे (अगर जीडीआर स्वतः अनुमोदित मार्ग के तहत जारी किए जाते हैं तो संबद्ध एनआइसी कूट कोट करें)		
11.	क्या विदेशी निवेश के लिए कोई समग्र क्षेत्रीय सीमा लागू है? अगर हां, तो कृपया ब्योरे दें		
12.	ईक्विटी पूंजी के ब्योरे	निर्गम से पहले	निर्गम के बाद
	क) प्राधिकृत पूंजी		
	ख) निर्गमित तथा प्रदत्त पूंजी		
	i)	भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा धारित	
	ii)	विदेशी संस्थागत निवेशकों/ अनिवासी भारतीयों/ भारतीय मूल के व्यक्तियों/ समुद्रपारीय निगमित निकायों से इतर विदेशी निवेशकों द्वारा धारित (प्रदत्त	

			पूंजी के 10 प्रतिशत से अधिक धारित करनेवाले विदेशी निवेशकों की सूची तथा उनमें प्रत्येक द्वारा धारित शेयरों की संख्या प्रस्तुत किया जाए)		
		iii)	अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/ विदेशी कंपनी निकायों द्वारा धारित		
		iv)	विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा धारित		
	ग)		कुल प्रदत्त पूंजी में अनिवासियों द्वारा धारित कुल ईक्विटी का प्रतिशत		
13.			क्या निर्गम निजी व्यवस्था आधार पर था? अगर हां, तो निवेशकों तथा प्रत्येक को जारी एडीआर/ जीडीआर के ब्योरे दें		
14.			जारी जीडीआर/एडीआर की संख्या		
15.			जीडीआर/एडीआर पर अंडरलाइंग शेयरों का अनुपात		
16.			निर्गम से संबंधित खर्चे		
	(क)		मर्चेट बैंकरो/अग्रणी प्रबंधक को अदा की गई/ देय शुल्क		
		(i)	राशि (अमरीकी डॉलर, आदि में)		
		(ii)	कुल निर्गम के प्रतिशत के तौर पर राशि		
	(ख)		अन्य खर्चे		
17.			क्या निधियां विदेश में रखी गई हैं? अगर हां, तो बैंक का नाम और पता		
18.			सूचीबद्ध करने की व्यवस्था के ब्योरे		
			स्टॉक एक्सचेंज का नाम		
			ट्रेडिंग शुरू करने की तारीख		
19.			एडीआर/जीडीआर निर्गम आरंभ करने की तारीख		
20.			उगाही गई राशि (अमरीकी डॉलर में)		
21.			प्रत्यावर्तित राशि (अमरीकी डॉलर में)		
प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन किया गया है।					
ह./- सनदी लेखाकार			ह./- कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी		

अनुबंध-11	
[भाग-1, खंड-1, पैरा 29]	
तिमाही विवरणी	
[मई 3, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा 20/2000-आरबी की अनुसूची 1 का पैराग्राफ 4(3) देखें]	
(भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी निवेश प्रभाग, केन्द्रीय कार्यालय, मुंबई को प्रस्तुत किया जाए)	
1.	कंपनी का नाम
2.	पता
3.	जीडीआर/एडीआर निर्गम प्रारंभ करने की तारीख
4.	जारी किए गए जीडीआर/एडीआर की कुल सं.
5.	उगाही गई कुल राशि
6.	तिमाही के अंत तक अर्जित कुल ब्याज
7.	निर्गम के खर्चों और कमीशन आदि
8.	प्रत्यावर्तित राशि
9.	विदेश में रखी गई शेष - ब्योरे
	(i) बैंक जमा राशियां
	(ii) खजाना बिल
	(iii) अन्य (कृपया उल्लेख करें)
10.	अब तक बकाया जीडीआर की संख्या
11.	तिमाही के अंत में कंपनी के शेयर की कीमत
12.	तिमाही के अंत में समुद्रपारीय स्टॉक एक्सचेंज में कोट की गई जीडीआर की कीमत
प्रमाणित किया जाता है कि एडीआर/जीडीआर द्वारा उगाही गई निधियों को स्टॉक बाजार अथवा भूमि भवन में निवेश नहीं किया गया है।	
ह./- सनदी लेखाकार	ह./- कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी

आईपीआई
[भाग-II, पैरा 3]

भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा भारत में अधिग्रहीत अचल संपत्ति के बारे में घोषणा

निर्देश : घोषणा दो प्रतियों में भरी जाये और अचल संपत्ति के अधिग्रहण से 90 दिनों के भीतर मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग(विदेशी निवेश प्रभाग-III) , भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई-400 001 को सीधे भेजी जाये ।

1.		अचल संपत्ति अधिग्रहणकर्ता का नाम और पूरा पता		
2.	(क)	अचल संपत्ति का ब्योरा	(क)	
	(ख)	राज्य का नाम, टाउन ,और म्युनिसिपिल/ सर्वे संख्या का उल्लेख करते हुए अचल संपत्ति की निश्चित अवस्थिति	(ख)	
3.	(क)	प्रयोजन जिसके लिए अचल संपत्ति का अधिग्रहण किया गया है ।	(क)	
	(ख)	भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति संख्या तथा तारीख, यदि कोई हो	(ख)	
4.		अचल संपत्ति अधिग्रहण करने की तारीख		
5.	(क)	अचल संपत्ति का अधिग्रहण किस प्रकार किया गया है अर्थात् खरीद के द्वारा अथवा पट्टे पर ।	(क)	
	(ख)	बिक्रेता/ पट्टादायी का नाम , नागरिकता तथा पता	(ख)	
	(ग)	खरीद की राशि और धन के स्रोत	(ग)	

मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करते हैं कि;

(क)	ऊपर दिये गए ब्योरे मेरी/हमारी जानकारी व विश्वास के अनुसार सही तथा सत्य हैं।
(ख)	उपर्युक्त संपत्ति का कोई हिस्सा किसी को न तो किराये पर और न ही पट्टे पर दिया गया है अथवा किसी अन्य पार्टी को अन्यथा उपयोग करने दिया गया है ।

संलग्नक:			
			प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर
		मुहर	
स्थान			
नाम			
पदनाम			

एफएनसी 13
[भाग-III, पैरा 1]

भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा भारत में अधिग्रहीत अचल संपत्ति के बारे में घोषणा

अ.	आवेदक के लिए निर्देश : केवल आवेदनपत्र फार्म भरा जाये और उसे मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग(विदेशी निवेश प्रभाग) , भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई-400 001 को प्रस्तुत जाये ।	
आ.	प्रलेखन	
	i)	भारतीय दूतावास /जिस देश में पंजीकरण कराया गया हो ,वहाँ के नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित निगमन/पंजीकरण अथवा एसोसिएशन के ज्ञापन तथा अंतर्नियमों के प्रमाणपत्र का अंग्रेजी पाठ ।
	ii)	आवेदक कंपनी /फर्म का लेखा परीक्षण किया हुआ अद्यतन तुलन-पत्र ।
	iii)	परियोजना कार्यालय के मामले में , इस बात के सबूत के लिए दस्तावेजी साक्ष्य कि परियोजना के लिए द्विपक्षीय/ बहुपक्षीय अंतर-राष्ट्रीय वित्त पोषण एजेंसियों से निधियों की व्यवस्था की गई है अथवा परियोजना संबंधित प्राधिकरण द्वारा पूरी की गयी है अथवा भारतीय कंपनी को संबंधित परियोजना के लिए किसी वित्तीय संस्था अथवा भारत की किसी बैंक द्वारा मीयादी औण मंजूर किया गया है ?

1.	(i)	आवेदक कंपनी /फर्म का पूरा नाम व पता (उल्लेख करें कि क्या आवेदक प्रोप्राइटरी संस्था है अथवा पार्टनरशिप फर्म अथवा लिमिटेड कंपनी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र का कोई उपक्रम है अथवा कोई अन्य संगठन)		
	(ii)	पंजीकरण /समावेशन की तारीख व स्थान		
2.	पूँजी के ब्योरे			
	(i)	प्रदत्त पूँजी		-----के प्रत्येक हिस्से में विभाजित
	(ii)	लेखा परीक्षण किए हुए पिछले तुलन-पत्र के अनुसार निर्बंध प्रारक्षित निधियां		

3.		आवेदक के कार्य-कलापों का संक्षिप्त ब्योरा	
4.	संपर्क /शाखा कार्यालय के लिए		
	(i)	पिछले तीन वर्षों में हर साल के दौरान भारत को आयात किए गए और/ अथवा भारत से निर्यात किए गए माल की कीमत	

	(क)	भारत को आयात	
	(ख)	भारत से निर्यात किए गए माल की कीमत	
(ii)		कंपनी की आवश्यकताओं, यदि कोई हों, को पूरा करने के लिए भारत में की गयी वर्तमान व्यवस्थाओं के ब्योरे	
(iii)		प्रस्तावित संपर्क/ शाखा कार्यालय के ब्योरे	
	(क)	कार्यालय द्वारा किए गए /प्रदान की गई प्रस्तावित कार्य-कलापों/ सेवाओं के ब्योरे	
	(ख)	वह स्थान जहाँ कार्यालय खोला जायेगा ।	
5.	परियोजना कार्यालय के लिए		
	यदि किसी विशिष्ट परियोजना के लिए अथवा आवेदक द्वारा कोई करार पूरा करने के लिए अस्थायी रूप से कार्यालय खोला जाना है तो		
(i)		भुगतान की शर्तों/अवधि आदि शामिल करते हुए परियोजना /करार के ब्योरे	
(ii)		वह स्थान जहाँ कार्यालय खोला जायेगा ।	
(iii)		क्या परियोजना कार्यालय का पूरा निधीयन आवक विप्रेषणों/अतवा अथवा आ (iii) में विनिर्दिष्ट अन्य किसी स्रोत से किया गया है ?	
6.	अपने आवेदनपत्र के समर्थन में यदि आवेदक कंपनी कोई अन्य जानकारी देना चाहे		

6.	(i)	अपने आवेदनपत्र के समर्थन में यदि आवेदक कंपनी कोई अन्य जानकारी देना चाहे	
	(ii)		
	(iii)		

परिशिष्ट

भारत में विदेशी निवेश/अचल संपत्ति का अभिग्रहण और स्वामित्ववाली/ साझेदारी फर्मों में निवेश के संबंध में इस मास्टर परिपत्र में शामिल परिपत्रों/अधिसूचनाओं की सूची

सं.	अधिसूचना और परिपत्र	दिनांक
1.	फेमा सं.32/2000-आरबी	दिसंबर 26, 2000
2.	फेमा सं.35/2001-आरबी	फरवरी 16, 2001
3.	फेमा सं.41/2001-आरबी	मार्च 2, 2001
4.	फेमा सं.45/2001-आरबी	सितंबर 20, 2001

5.	फेमा सं.46/2001-आरबी	नवंबर 29, 2001
6.	फेमा सं.50/2002-आरबी	फरवरी 20, 2002
7.	फेमा सं.55/2002-आरबी	मार्च 7, 2002
8.	फेमा सं.62/2002-आरबी	मई 13, 2002
9.	फेमा सं.64/2002-आरबी	जून 29, 2002
10.	फेमा सं.65/2002-आरबी	जून 29, 2002
11.	फेमा सं.76/2002-आरबी	नवंबर 12, 2002
12.	फेमा सं.85/2003-आरबी	जनवरी 17, 2003
13.	सं.फेमा 93/2003-आरबी	जून 9, 2003
14.	सं.फेमा 94/2003-आरबी	जून 18, 2003
15.	सं.फेमा 100/2003-आरबी	अक्तूबर 3, 2003
16.	सं.फेमा 101/2003-आरबी	अक्तूबर 3, 2003
17.	सं.फेमा 106/2003-आरबी	अक्तूबर 27, 2003
18.	सं.फेमा 108/2003-आरबी	जनवरी 1, 2004
19.	सं.फेमा 111/2004-आरबी	मार्च 6, 2004
20.	सं.फेमा 118/2004-आरबी	जून 29, 2004
21.	सं.फेमा 122/2004-आरबी	अगस्त 30, 2004
22.	सं.फेमा 125/2004-आरबी	नवंबर 27, 2004
23.	सं.फेमा 130/2005-आरबी	मार्च 17, 2005
24.	सं.फेमा 131/2005-आरबी	मार्च 17, 2005
25.	सं.फेमा 138/2005-आरबी	जुलाई 22, 2005
26.	सं.फेमा 136/2005-आरबी	जुलाई 19, 2005
27.	सं.फेमा 137/2005-आरबी	जुलाई 22, 2005
28.	सं.फेमा 138/2005-आरबी	जुलाई 22, 2005
29.	फेमा सं.149/2006-आरबी	जून 9, 2006
30.	फेमा सं.153/2006-आरबी	मई 31, 2007
31.	फेमा सं.167/2007-आरबी	अक्तूबर 23, 2007
32.	फेमा सं.170/2007-आरबी	नवंबर 13, 2007

1.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 14	सितंबर 26, 2000
2.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.24	जनवरी 6, 2001
3.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.26	फरवरी 22, 2001
4.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.32	अप्रैल 28, 2001
5.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.13	नवंबर 29, 2001
6.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.21	फरवरी 13, 2002
7.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.29	मार्च 11, 2002
8.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.1	जुलाई 2, 2002
9.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.5	जुलाई 15, 2002
10.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.19	सितंबर 12, 2002
11.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.35	नवंबर 1, 2002
12.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.45	नवंबर 12, 2002
13.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.46	नवंबर 12, 2002
14.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.52	नवंबर 23, 2002
15.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.56	नवंबर 26, 2002
16.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.67	जनवरी 13, 2003
17.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.68	जनवरी 13, 2003
18.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.69	जनवरी 13, 2003
19.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.75	फरवरी 3, 2003
20.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.88	मार्च 27, 2003
21.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.101	मई 5, 2003
22.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.10	अगस्त 20, 2003
23.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.13	सितम्बर 1, 2003
24.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.14	सितम्बर 16, 2003
25.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.19	सितम्बर 23, 2003
26.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.28	अक्टूबर 17, 2003
27.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.35	नवम्बर 14, 2003
28.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.38	दिसम्बर 3, 2003
29.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.39	दिसम्बर 3, 2003
30.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.43	दिसम्बर 8, 2003
31.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.44	दिसम्बर 8, 2003
32.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.53	दिसंबर 17, 2003

33.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.54	दिसम्बर 20, 2003
34.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.63	फरवरी 3, 2004
35.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.67	फरवरी 6, 2004
36.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.89	अप्रैल 24, 2004
37.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.11	सितंबर 13, 2004
38.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.13	अक्टूबर 1, 2004
39.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.15	अक्टूबर 1, 2004
40.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.16	अक्टूबर 4, 2004
41.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.39	अप्रैल 25, 2005
42.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.44	मई 17, 2005
43.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.04	जुलाई 29, 2005
44.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.06	अगस्त 11, 2005
45.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.07	अगस्त 17, 2005
46.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.08	अगस्त 25, 2005
47.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.10	अगस्त 30, 2005
48.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.11	सितंबर 05, 2005
49.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.16	नवंबर 11, 2005
50.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.24	जनवरी 25, 2006
51.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.4	जुलाई 28, 2006
52.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.5	अगस्त 16, 2006
53.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.12	नवंबर 16, 2006
54.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.25	दिसंबर 22, 2006
55.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.32	फरवरी 8, 2007
56.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.40	अप्रैल 20, 2007
57.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.62	मई 24, 2007
58.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.65	मई 31, 2007
59.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.73	जून 8, 2007
60.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.74	जून 8, 2007
61.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.2	जुलाई 19, 2007
62.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.20	दिसंबर 14, 2007
63.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.22	दिसंबर 19, 2007
64.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.23	दिसंबर 31, 2007
65.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.40	अप्रैल 28, 2008
66.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.41	अप्रैल 28, 2008
67.	ए.पी. (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं.44	मई 30, 2008

